

Imperial Fire

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।
पत्रांक नं०-17/डीडी0/फा0स0/मेरठ-15(गाजि0)/376 दिनांक: अप्रैल 20 2015
सेवा में,

अभिज्ञासी अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स (श्री आनन्द स्वरूप गर्ग, श्री विजय कुमार गर्ग, श्री सुनील कुमार गर्ग) द्वारा खसरा नं०-980, एवं 981 नेहरूनगर, ग्राम बोनडा जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित कुप हाउसिंग अपार्टमेंट भवन " गुलमोहर बसन्त " की मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

रूआईडी: 2015/8731/जीजैडबी/गाजियाबाद/521/डीडी
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 215/एन0पी/15 दिनांक: 24-03-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके अनुपालन में आवेदक द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रस्तावितरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्या: आर-10/एफएसके/2106 दिनांक: 15-04-2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 17-04-2015 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

- 1-कुल प्लॉट एरिया-3351.19 वर्ग मी० है।
- 2-प्रस्तावित स्टिल्ट/भूतल कवर्ड एरिया-814.90 वर्ग मी०।
- 3-प्रस्तावित बेसमेंट कवर्ड एरिया-1844.42 वर्ग मी०। प्रस्तावित प्रश्नगत भवन का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम ब्लाक एवं तल	स्टिल्ट/भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	निर्मित कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई मी०।	ऊँचाई मीटर में।
1	ब्लाक-ए0, बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 12 तल	750.13	7525.09	02 अदद 01.50/01.50	40.20
2	कान्वीनोरेंट शॉप	15.00	भूतल पर प्रस्तावित	-	-
4	कम्युनिटी	20.00	भूतल पर प्रस्तावित	-	-

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0पी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अंशगत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी० प्रदर्शित है। एवं प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 8.00 मीटर एन0पी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत प्रदर्शित है:-

ए0-अग्रभाग-लगभग 07.50 मीटर। (7.5 मीटर रोड)

बी0-ग्रन्थ भाग-लगभग 06.00 मीटर। (7.5 मीटर रोड)

सी0-पार्श्व भाग प्रथम लगभग 04.50 मीटर। (7.5 मीटर रोड)

एन0-पार्श्व भाग द्वितीय-लगभग 04.50 मीटर। (7.5 मीटर रोड)

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के चारों ओर अग्निशमन की आवश्यकताओं हेतु 7.50 मीटर चौड़ा रोड प्रस्तावित है, जिसे सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखा जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा। तथा बेसमेंट की स्लैब 45 टन भार क्षमता की रखी जानी अनिवार्य होगी।

नोट:- भवन की ऊँचाई के सापेक्ष वांछनीय सैटबेक के सम्बन्ध में निर्णय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाना अपेक्षित है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में 02 अदद स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० तालिकानुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुगम्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा। तथा फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर बनाया जाना अनिवार्य होगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 1,00,000 एक लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 1620 एल०पी०एम० क्षमता का 01 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद चौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।

3-टैरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ग्रान्य पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्बिस इन्लेट का मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

6-मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट/स्टिल्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

8-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10-एग्जिट साईनेज:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।

11-पी०ए० सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।


12-प्रश्नगत भवन में इनरजेन्सी/ स्केप लाईटिंग एन०बी०सी०-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

13-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन०बी०सी० पार्ट-4 के प्रस्तर सी०-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

14-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशों व कोरीडोर की लाइटों को बैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक साइन (वायरिंग) फायर सेफ डवर से सुरक्षित करते हुये जोड़ जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी कोतवाली एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद की आख्या के अनुसार मैसर्स (श्री आनन्द स्वल्प गर्ग, श्री विजय कुमार गर्ग, श्री सुनील कुमार गर्ग) द्वारा खसरा न०-980, एवं 981 नेहरूनगर, ग्राम बोन्डा जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन " गुलमोहर बसन्त " की मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुसूचित मानचित्र 6 अदद।


(सुच०एस० मलिक)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेट्रो पोलिस।

प्रतिलिपि:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-मैसर्स गुलमोहर बसन्त द्वारा खसरा न०-980, एवं 981 नेहरूनगर, ग्राम बोन्डा जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE

सिविल अभियांत्रिकी विभाग
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

रुड़की - 247 667, उत्तराखण्ड, भारत
ROORKEE - 247 667, UTTARAKHAND, INDIA

Fax / फैक्स : 01332-275568, 273560

Tele / टेली : 01332-284319, 285219

E-mail / ई-मेल : civil@iitr.ernet.in

Ref. No. CED/AC/01/R

Date: 25.05.2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Sub.: Proof checking of structural design and drawings of Gulmohur
Vasant at K.H. No. 980 & 981 at Nehru Nagar – II (Village Bonjha),
Ghaziabad, U.P.

- Ref: 1. Letter No. Nil of Mr. Yashpal Singh dated 13.05.2015
2. Structural design calculations and drawings as submitted

This is to certify that the structural design calculations and drawings of drawings of Gulmohur Vasant at K.H. No. 980 & 981 at Nehru Nagar – II (Village Bonjha), Ghaziabad, U.P. as mentioned in the subject matter above have been checked and corrected in accordance with the relevant Indian Standard Criteria for design of RCC structures (IS: 456-2000). The approved structural design as shown in the design drawings stamped and signed on behalf of IIT Roorkee is safe and sound for earthquake loading as per Indian Standards for earthquake resistant design IS:1893-2002 and IS: 13920-1993 (Reaffirmed 1998).

The responsibility of the Indian Institute of Technology Roorkee shall be limited to checking of structural design calculations and drawings only. All procedural /legal/operational matters and architectural/functional details will be the responsibility of the owner.

Sincerely

(Dr. A. Chakrabarti)

Dr. Anupam Chakrabarti
Associate Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Roorkee
ROORKEE-247 667 (Uttarakhand)

Tele: 011-23060231/5216

Regd Post

विंग कमांडर

संक्रिया निदेशालय
वायु यातायात सेवाएँ
वायु सेना मुख्यालय
नई दिल्ली -110 106

Air HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM – MMCCXL)


27 Aug 15

Mr Anand Swroop Garg,
17, Kiran Enclave (Near Samrat Hotel),
GT Road, Ghaziabad-201001 (UP)

**ISSUE OF NOC FROM AVIATION ANGLE FOR CONSTRUCTION
OF BUILDING BY MR ANAND SWROOP GARG, GHAZIABAD**

1. Reference is made to your application dated 08 May 15.
2. Annexed please find an ink signed copy of 'No Objection Certificate' on the subject issued vide Gol letter MoD No. Air HQ/S 17726/4/ATS (PC-MCMII)/Dy No. 666/F/2015/D (Air-II) dated 25 Aug 15. You may please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,


(जे सिंगला)
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक औप्स (वा या से)

Annexure:- As stated (ink signed copy)

No. Air HQ/S. 17726/4/ATS(PC-MCMII)
Diary No.666/F/2015/D(Air-II)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Defence/Raksha Mantralaya

New Delhi, dated the 25th August, 2015.

To ✓
Mr. Anand Swroop Garg,
17, Kiran Enclave (Near Samrat Hotel),
GT Road, Ghaziabad-201001 (U.P.).

Subject: Issue of 'NOC' from 'Aviation Angle' for construction of building by Mr. Anand Swroop Garg, Ghaziabad.

Sir,

I am directed to refer to your application, dated 08th May, 2015 on the above subject and to say that after examining the application under Gazette of India SO 84(E) and other relevant orders on the subject, Air HQ has no objection from **'Aviation Angle'** with respect to **IAF airfield Hindan** for construction of **60 Meters** high building at Khasra No. 980 and 981, Nehru Nagar II-C (Village-Bhonja), Ghaziabad by Mr. Anand Swroop Garg, Ghaziabad, subject to the following conditions:-

(a) The NOC is from **'Aviation Angle'** with respect to **IAF airfield Hindan** and cannot be treated as a **document** for claim of title of land on which building is proposed.

(b) No Objection to such construction shall also be obtained separately from any other defence establishment in the vicinity of such construction and any other relevant government authorities.

(c) The vertical extent (highest point) of the buildings proposed at the below mentioned coordinates shall not **exceed 272 Meters** above mean sea level or **60 Meters** above ground level **whichever is lower**. No extension or structure permanent or temporary (eg. Antennas, munties, lift machine room, overhead water tank, cooling towers, sign boards etc.) shall be permitted above the cleared height :

Corners	Latitude	Longitude	Corners	Latitude	Longitude
A.	28° 40' 02" N	77° 26' 15" E	C.	28° 39' 56" N	77° 26' 22" E
B.	28° 40' 08" N	77° 26' 25" E	D.	28° 40' 01" N	77° 26' 31" E

(d) Standard obstruction lightings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO-Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be kept 'ON' at all times. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights 'ON' during power failure. Company shall carry out periodic maintenance of the lightings to keep them in serviceable and visible condition.

(e) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the AOC or his nominated representative at **Air Force Station Hindan** on installation.

(f) No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with aeronautical ground lights of an airport shall be installed at the site at any time during or after construction of the building.


(g) The commencement, completion of works including installation of obstruction lights shall be intimated to **AOC, Air Force Station Hindan and HQ WAC, AF CATCO, Subroto Park, New Delhi**. Failure to render this certificate within the stipulated time shall lead to cancellation of NOC.

(h) The validity of this NOC is five years from the date of issue. If the construction is not completed within five years of issue or found to be in deviation from original proposal, the NOC shall be deemed null and void. Applicant is responsible to obtain fresh NOC for the proposal.

(i) Required security clearance should be obtained through MHA/IB of the foreign Nationals/Indian representative employed/to be employed by the company in India.

2. You are also requested to obtain 'No Objection' from other concerned Government Organization/Agencies as required.

Yours faithfully,


(A.S. Chowdhury)

Under Secretary to the Government of India.